जिला कलैक्टर 82/17
श्रीगंगानगर

A2
7

मुन्तकिली प्रकरण सं0 82/2017 अनवानी जगराज सिंह पुत्र जतेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी चक 1 डीडी तहसील पदमपुर बनाम 1–नवजोत पुत्री जतेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 1 डीडी तहसील पदमपुर हाल ई–41 अम्बिका सिटी, श्रीगंगानगर 2–ग्राम पंचायत 20 बीबीए जरिये सरपंच 3–ग्राम पंचायत 20 बीबीए जरिये सचिव 4–पटवारी हल्का पटवार मण्डल पदमपुर 5–रामदेवी 6–प्रोमिला 7–नवतेज 8–जसकरण सिंह 9–सूरजकंवर 10–अभिरमनसिंह 11–अभिलक्षित सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.12.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री कुलवंत सिंह संधू उपस्थित है। अप्रार्थीगण नवजोत, प्रोमिला, नवतेज के अभिभाषक श्री मलकियत सिंह नंदा उपस्थित है। शेष अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैः–

प्रार्थी जगराजसिंह ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लंबित अपील ईन्तकाल संख्या 5/2017 अनवानी नवजोत बनाम ग्राम पंचायत 20 बीबीए आदि अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री कुलवंत सिंह संधू का कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 नवजोत द्वारा एक अपील बअनवानी नवजोत बनाम ग्राम पंचायत 20 बीबीए उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में इस आश्य की पेश की गई है कि उसके पिता जतेन्द्र सिंह की दिनांक 05.05.2015 को मृत्यु हो चुकी है उसके नाम चक 1 डीडी के खाता संख्या 18/20 के मु0न0 16 की 6.325 हे0 भूमि दर्ज रिकार्ड है जो उसकी स्वंअर्जित सम्पति है। जतेन्द्रसिंह ने अपने जीवनकाल में बरूबरू गवाहान परमजीतसिंह व जितेन्द्रसिंह के समक्ष बंद वसीयत जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर में पेश की थी चूंकि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी के दादा हंसराज से पिता जतेन्द्र सिंह को विरासत में प्राप्त हुई थी इस प्रकार उक्त सम्पति पैतृक सम्पति है जतेन्द्र सिंह की मृत्यु के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 4 ता 8 के प्रत्येक के हिस्से में 1/7 हिस्सा का ईन्तकाल दर्ज हुआ है। क्योंकि जतेन्द्र सिंह के जीवनकाल में उसका अपना 1/8 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वर्णित वसीयत दिनांक 10.05.17 विधि विरूद्ध होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। इसलिए सभी वारिसान के नाम से जो ईन्तकाल दर्ज किया गया है वह सही है। इसलिए सभी नैसर्गिक वारिसान के नाम दर्ज किया गया ईन्तकाल सही है और बहाल रखे जाने योग्य है।

उनका आगे कथन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त अपील में जतेन्द्र सिंह के नाम से रचित वसीयत दिनांक 10.05.07 को शून्य व अकृत घोषित करवाने के लिए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, पदमपुर की अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया तो उन्होने कहा कि उक्त स्थगन आदेश उन पर लागू नही होता है। इस प्रकार प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर 82/17
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकारी का व्यवहार उक्त पत्रावली में पक्षपातपूर्ण है। दो रोज पूर्व प्रार्थी ने विपक्षी पार्टी को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठा देखा और कुछ देर बाद पीठासीन अधिकारी एवं विपक्षी पार्टी एक साथ बाहर निकले। जिससे प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा है कि पीठासीन अधिकारी का विपक्षी पार्टी से साजबाज हो गया है और कानून की अनदेखी करके प्रार्थी के विरूद्ध फैसला करने को उतारू है। इसलिए उसे न्याय मिलने की संभावना नही है। इसलिए उक्त प्रकरण किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

उनका यह भी कथन है कि प्रा0 पत्र संख्या 20/2017 अनवानी जगराज सिंह बनाम रामदेवी आदि धारा 212 आरटीए में जो निर्णय दिनांक 08.08.17 पारित किया गया है उसके बारे में पूछने पर भी प्रार्थी को जानकारी नही दी गई। जब राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय से केवियट प्रा0 पत्र का नोटिस दिनांक 24.08.17 को मिला तो पता चला कि उक्त प्रा0 पत्र का निर्णय 08.08.17 को हुआ है। जिससे भी स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी का रवैया पक्षपातपूर्ण है है। इसलिए उक्त अपील प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए अन्तरित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री मलकियत सिंह नंदा का कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 नवजोत जो कि मूल खातेदार जतेन्द्र सिंह की पुत्री है और जतेन्द्र सिंह द्वारा उनके पक्ष में की गयी वसीयत के विपरीत ईन्तकाल दर्ज किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष चुनौती दी गई है जो लंबित है जिसे प्रार्थी निराधार तथ्यों के आधार पर मुन्तकिल करवाना चाहता है। उनका आगे यह भी कथन है कि विवादग्रस्त भूमि जतेन्द्र सिंह की स्वंअर्जित भूमि थी जिसकी वसीयत करने का उसे पूर्ण अधिकार था। प्रार्थी द्वारा उक्त अपील प्रकरण को मुन्तकिल करवाने के लिए जो आधार बताये गये है वह मनगढंत और साधारण प्रकृति के है जो मुकदमा मुन्तकिली का ठोस आधार नही बनाते है। केवलमात्र प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब की दृष्टि से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का एक वाद जगराज सिंह बनाम रामदेवी आदि के नाम से विचाराधीन है जिसमें 212 आरटीए का प्रा0 पत्र में प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 08.08.2017 को निर्णित हुआ है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी खारिज हो चुकी है किन्तु इस प्रकरण से संबंधित मूल वाद अभी भी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लंबित है जिसे अन्यत्र मुन्तकिल करवाने की प्रार्थना नही की गयी है जबकि प्रार्थी ने इस मुन्तकिली प्रा0 पत्र में पीठासीन अधिकारी का रवैया पक्षपात का बताया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने जानबूझकर अप्रार्थी की अपील के संबंध में पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आरोप लगाया है। इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर 82/17
श्रीगंगानगर

मैने दोनो पक्षो के अभिभाषकगण के उक्त तर्को पर मनन किया एवं उपखण्ड अधिकारी पदमपुर की टिप्पणी दिनांक 27.10.17 व पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लंबित ईन्तकाल अपील संख्या 5/2017 अनवानी नवजोत बनाम ग्राम पंचायत 20 बीबीए आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया है। प्रार्थी के अनुसार अपील पत्र से संबंधित एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लंबित है जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिस अपील प्रकरण सं0 5/17 नवजोत बनाम ग्राम पंचायत 20 बीबीए आदि को अप्रार्थी सं0 1 नवजोत द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत के तस्दीक शुदा ईन्तकाल सं0 437 दिनांक 20.04.17 के विरूद्ध पेश की गयी है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के साथ प्रस्तुत धारा 212 आरटीए के प्रा0 पत्र अनवानी जगराज सिंह बनाम राम देवी आदि में दिनांक 08.08.17 को पारित हुए निर्णय को वर्तमान में लंबित अपील को मुन्तकिल करने का आधार इस आधार पर बनाया है कि उक्त प्रा0 पत्र में बहस सुनने के पश्चात बार बार पूछने पर निर्णय के बारे में नही बताया गया जबकि वह न्यायालय के रीडर से बार बार पूछते रहे। **जिसकी उसने शिकायत भी उच्च अधिकारियों को की है। किन्तु इसके बावजूद प्रार्थी जगराज सिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में उक्त धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र से संबंधित लंबित मूल वाद अनवानी जगराज सिंह बनाम राम देवी आदि के विरूद्ध कोई मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के विरूद्ध पेश नही किया है जो उसकी निष्पक्ष न्याय न मिलने की आशंका को आधारहीन बनाता है।**

प्रार्थी ने केवल नवजोत द्वारा प्रस्तुत लंबित अपील सं0 5/17 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर जो आधार बताये है वह उक्त अपील के गुण दोष के आधार पर प्रार्थी ने विवादित भूमि पर अपना हक व अधिकार जताने का प्रयास किया है। गुण दोष के आधार पर इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय में लंबित अपील पर विचार करने की कोई अधिकारिता नही है। प्रार्थी द्वारा लंबित अपील को मुन्तकिले किये जाने के संबंध में कोई ठोस कारण नही बताये है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2185
28.12.17

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर